313
1-20

संख्याः– 2058 / XXXX / 2017–134 / 2011 टी0सी0– ।।

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर, 2017

विषयः– **उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण कार्य (द्वितीय चरण) हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1359–60 / उ0आ0वि0 / लेखा / 2017–18, दिनांक 04.08.2017 एवं निदेशालय के पत्र संख्या–7591 / लेखा–399 / 2017–18, दिनांक 31 जुलाई, 2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चिकित्सालय निर्माण हेतु द्वितीय चरण के कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 में अंकित विवरणानुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि शीघ्र अवमुक्त कर व्यय के उपरान्त अग्रिम किश्त की मांग तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं जांच आख्या शीघ्र प्रस्तुत की जाय।
2. उक्त कार्य हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए तथा कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को, जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा तथा निर्माण कार्य करने से पूर्व पुनः लो0नि0वि0 की दरों पर दर–विश्लेषण कर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करा ली जाये।
5. उक्त कार्य को व्यय वित्त समिति की संस्तुति के कम में उपरोक्तानुसार अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही यथाप्रकिया समायोजित किया जाय। उपयोग–पत्र दिनांक 31.03.2018 तक प्रस्तुत करें।
6. विश्वविद्यालय निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत किये गये कार्य मात्र ही समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे। समिति द्वारा इंगित कार्यो से भिन्न / अतिरिक्त कोई कार्य वर्तमान स्वीकृति के सापेक्ष सम्पादित नहीं किये जायेंगे।
7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना की स्वीकृत नार्म्स है, स्वीकृत नार्म्स से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। पूर्व अनुबन्धित अनुबन्ध के आधार कार्य पूर्ण कराया जाय।

क्रमशः–2

8. एकमुश्त प्राविधान धनराशि को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।

   9 A- अबतक समस्त कार्यो का नियोजन विभाग द्वारा निर्देशित तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन नियमानुसार थर्ड पार्टी से कराये जाने की निष्पक्ष व्यवस्था की जाय।

10 कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।

11 निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य कराया जाय। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्थाओं से कराये जाने हेतु प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV/9219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13 कार्य प्रारम्भ कराने हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट नियमावली–2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समयसारिणी के अनुसार अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा। विलम्ब की दशा में आंगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–800–अन्य व्यय–03–राज्य सेक्टर–0304–आयुर्वेद विश्वविद्यालय का भवन निर्माण–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–98(म0)/XXVII(3)/2017, दिनांक 11 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्याः–2058 (1)/XXXX–2017–134/2011टी0सी0–।।, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय,देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
4– कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, इकाई–2, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
2/10/16
(जी0बी0ओली)
अपर सचिव।